कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा(वैशाली)

वाद संख्या– 34/13–14 में पारित आदेश की प्रतिलिपिः

दिनांक		अभ्युक्ति
30.11.13		

यह वाद श्री कृष्ण कुमार भार्गव, पिता– यदुनन्दन राय, ग्राम– गोरीगामा, पो0+थाना– महुआ, जिला– वैशाली के दिनांक 01.10.13 के आवेदन –पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत–पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार हैः–

महुआ प्रखण्ड के ग्राम पंचायत विशुनपुर, हीरा राम उर्फ पहाड़पुर में मनरेगा योजना के तहत् वृक्षारोपण का कार्य सरकारी नियमानुसार नहीं कराकर मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक अपने निजी लाभ को ध्यान में रखकर वृक्षारोपण कार्य में सरकारी राशि का लूट–खसोट कर रहे है। वृक्षारोपण कार्य में वनपोषक की बहाली आम सभा द्वारा नहीं कराकर अपने चहेते सम्पन्न लोगों को रखते है। वृक्षारोपण कार्य में मजदूर की जगह सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के पति, पत्नी एवं पुत्र के नाम के खाता का संचालन कर राशि के गबन का काम करते है।

शिकायतकर्त्ता का आगे यह भी कहना है कि पंचायत में अभी वर्तमान में कुल पौधा 2000(दो हजार) ही जीवित है। चापाकल, पौधों के निकट नहीं लगाया गया है इत्यादि।

शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र के संबंध में पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत, विशुनपुर हीरा राम उर्फ पहाड़पुर से कारण पृच्छा की मांग की गयी। पंचायत रोजगार सेवक ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि प्रश्नगत् शिकायतकर्त्ता ने निराधार आरोप लगाया है। चूँकि शिकायतकर्त्ता कृष्ण कुमार भार्गव, पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी थे और दुर्भाग्यवश चुनाव हार गये थे। पंचायत चुनाव के पहले से ही वर्तमान मुखिया श्री उमाशंकर कुमार तथा शिकायकर्त्ता श्री कृष्ण कुमार भार्गव के बीच पारिवारिक विवाद चलते आ रहा है। अतः शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद है। इसलिए लगाये गये आरोपों से मुझे मुक्त किया जाये।

दूसरी ओर शिकायतकर्त्ता द्वारा आरोपों से संबंधित अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई की अन्य तिथियों पर भी शिकायतकर्त्ता उपस्थित नहीं हुए।

दिनांक 12.11.13 को मेरे द्वारा वृक्षारोपण योजनाओं की स्थल जांच की गयी। मेरे साथ ग्राम पंचायत विशुनपुर हीरा राम उर्फ पहाड़पुर के पंचायत रोजगार सेवक श्री अखिलेश कुमार सुमन, पंचायत तकनीकी, सहायक, श्री राम राज, श्री उमाशंकर कुमार , मुखिया, ग्राम पंचायत विशुनपुर हीरा राम, उर्फ पहाड़पुर के साथ अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे।

मेरे स्थल भ्रमण में वृक्षारोपण की कई योजनाओं का निरिक्षण किया गया जो निम्न प्रकार है।

योजना संख्या	लगाये गये पौधों की संख्या	जीवित पाये गये पौधों की संख्या
01/11–12	दो यूनिट	250
02/11–12	दो यूनिट	245
03/11–12	दो यूनिट	250
04/11–12	दो यूनिट	255
05/11–12	दो यूनिट	225
06/11–12	दो यूनिट	275
07/11–12	दो यूनिट	380
08/11–12	दो यूनिट	285
09/11–12	दो यूनिट	289
15/11–12	दो यूनिट	400
16/11–12	दो यूनिट	444
17/11–12	दो यूनिट	300

उपर्युक्त योजनाओं के अलावे अन्य **योजना संख्या 10/11–12, 11/11–12, 12/11–12, 13/11–12, 14/11–12, 19/11–12 को संबंध में पंचायत** रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि उक्त वृक्षारोपण योजनाएँ में **सार्वजनिक स्थल अर्थात् सार्वजनिक** रोड के किनारे पौधे लगाये गये थे। मगर स्थानीय लोगों **द्वारा तथा जानवरो द्वारा पौधों** को नष्ट कर दिया जा रहा था। इसलिए उक्त सभी योजनाओं **को एक ही जगह पर निजी जमीन में** स्थानान्तरित कर पौधों को लगा दिया गया है। उक्त **स्थल अर्थात् निजी स्थल पर उपर्युक्त** सभी छः योजनाओं के दो–दो यूनिट वृक्षारोपण किये जाने थे। चूँकि **सभी योजनायें के पौधे** एक ही जमीन के प्लॉट में एक साथ लगाये गये थे। अतः उनकी सामूहिक गणना की गयी। उक्त स्थल पर कुल एक हजार पॉच सौ पचासी पौधे जीवित पाये गये। योजनाओं **संबंधी बोर्ड** नहीं पाये गये एवं चापाकल एकप्रति लगा हुआ पाया गया । स्थल बदलने के संबंध में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी द्वारा ही योजना स्थल को स्थानान्तरित किया गया है। इन्हें निदेश दिया गया कि उक्त योजनाओं का अभिलेख अविलम्ब प्रस्तुत करें।

ग्राम पंचायत विशुनपुर हीरा राम उर्फ पहाड़पुर के सरपंच, श्री नागेश्वर मिश्र वार्ड सदस्य, श्री राजेश कुमार मिश्रा एवं एक अन्य वार्ड सदस्य अरविन्द कुमार पासवान से वृक्षारोपण कार्यो के मजदूरी भुगतान संबंधी जानकारी ली गयी। उनलोगों ने बताया कि मजदूरों द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया है।

वृक्षारोपण कार्य से संबंधित वनपोषकों से उनकी मजदूरी भुगतान के संबंध में पूछे जाने पर श्री प्रमोद राय, पिता– शिवनारायण राय, ग्राम पहाड़पुर नथुनी राय, पिता– रामफल राय, जॉब कार्ड सं0 758, इन्दु देवी, पति– स्व0 लाला सिंह, परमेश्वर पासवान, पिता– प्रसाद पासवान, ग्राम–गोरीगामा, गणेश राय, पिता– श्री जागा राय, ग्राम गोरिगामा ने बताया कि उनके द्वारा मनरेगा में कार्य किया गया है तथा मजदूरी प्राप्त की गयी है। अन्य वनपोषक, श्री राजदेव राम, मन्टु राम तथा लक्ष्मण कुमार ने बताया कि मनरेगा में काम किया गया है तथा बैंक से मजदूरी का भुगतान प्राप्त किया गया है। उन्होंनें अपने कथन को लिखित रूप से प्रस्तुत किया है।

स्थल निरिक्षण के दौरान शिकायतकर्त्ता श्री कृष्ण कुमार भार्गव ने बताया कि शिकायत पत्र से संबंधित साक्ष्य कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जायेगा।

पंचायत रोजगार सेवक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही योजनाओं से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत कर सकें। शिकायतकर्त्ता द्वारा भी अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई की अन्य तिथियों पर भी शिकायतकर्त्ता उपस्थित नहीं हुए।

शिकायत संबंधी विपत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि योजना सं0 10/11–12, 11/11–12, 12/11–12, 13/11–12, 14/11–12 तथा 19/11–12 का योजना स्थल का स्थानान्तरण कार्य अवैधानिक है। योजना स्थल के स्थानान्तरण का कोई पर्याप्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन्हें आदेश दिया जाता है कि उक्त योजनाओं का क्रियान्यवन योजना सूची अनुसार मूल स्थल पर वृक्षारोपण का कार्य करें तथा चापाकल उचित स्थान पर स्थापित करें। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ तथा पंचायत रोजगार सेवक करायेंगे।

वृक्षारोपण की अन्य योजनाओं में योजना संख्या 01/11–12, 02/11–12, 03/11–12, 04/11–12, 05/11–12, 06/11–12, 08/11–12, 09/11–12 तथा 17/11–12 में पौधे की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया को निदेश दिया जाता है कि ऊचित ऊँचाई एवं ऊचित किस्म के पौधे दो सप्ताह के अन्दर लगवा दें, ताकि योजनाएँ

पूर्ण रूपेण क्रियान्वित हो जाये तथा रोजगार का **सृजन भी किया** जा सकें। इसका अनुपालन **भी कार्यक्रम** पदाधिकारी एवं पंचायत रोजगार **सेवक करेंगें**। **अनुपालन** प्रतिवेदन तीन सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

इन्ही निष्कर्ष के साथ इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

हस्ताक्षर
30.11.13
लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2372 / अभिकरण, दिनांक 30.11.13
प्रतिलिपिः मुखिया, ग्राम पंचायत, विशुनपुर हीरा राम उर्फ पहाड़पुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत विशुनपुर हीरा राम उर्फ पहाड़पुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

30.11.13
लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2372 / अभिकरण, दिनांक 30.11.13
प्रतिलिपिः शिकायतकर्त्ता, श्री कृष्ण कुमार भार्गव, ग्राम– गोरिगामा , पो0+थाना– महुआ, जिला– वैशाली को सादर सूचनार्थ।

30.11.13
लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2372 / अभिकरण, दिनांक 30.11.13
प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

30.11.13
लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2372 / अभिकरण, दिनांक 30.11.13
प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

30.11.13
लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2372 / अभिकरण, दिनांक 30.11.13
प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

30.11.13
लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।